राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 21/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

राज.भू राजस्व अधि. 1956

उनवान

सरकार जरिये प0ह0 निटूटी बनाम श्री श्योराम पुत्र श्री बन्ना

जाजड़ा जाति जाट नि. रामनगर

दिनांकः– 29.06.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रामनगर के आराजी खसरा नंबर 977/239 किस्म चारागाह रकबा 0.0404 है. भूमि पर बाड़ लगाकर व पक्की दीवार बनाकर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अतिकमण छोड़ने हेतु स्वीकृत हुए। अतः गैर सायल को अतिकमी घोषित कर प्रकरण निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रामनगर के आराजी खसरा नंबर नंबर 977/239 किस्म चारागा रकबा 0.0404 है. से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.15 का 50 गुणा 08/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से गैर सायल को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम होकर पत्रावली पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

नायब तहसीलदार
रूपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 25 पर रा. 8/– की मांग कायमी की गई। 4/7/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner